न्यायालय उपजिला कलक्टर अनूपगढ, जिला श्रीगंगागनर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :—41/2025
जी.सी.एम.एस नं.—2025/116

सुशीलकुमार पुत्र वेदप्रकाश जाति महा ब्राहाम्ण (तारंग) निवासी 12 एन डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

——— **प्रार्थी**

बनाम्

1. रेखा पत्नी अशोककुमार जाति महा ब्राहाम्ण (तारंग) निवासी 12 एन डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. अशोककुमार पुत्र वेदप्रकाश जाति महा ब्राहाम्ण (तारंग) निवासी 12 एन डी तहसील अूनपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. बिन्दु आचार्य पुत्री वेदप्रकाश जाति महा ब्राहाम्ण (तारंग) निवासी 12 एन डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. सावित्री देवी पत्नी वेदप्रकाश जाति महा ब्राहाम्ण (तारंग) निवासी 12 एन डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. उप पंजीयक अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

——— **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित—

1. श्री अमित त्यागी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री विनोद कुमार गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी सं.—1 ता 3 की ओर से
3. श्री शिव कुमार आचार्य अधिवक्ता अप्रार्थी सं.—4 की ओर से

कार्यालय उप जिला कलक्टर अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—:: निर्णय ::— **दिनांकः** 03/06/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता वेदप्रकाश पुत्र बीरबलराम के नाम से तहसील अनूपगढ़ के चक 12 एन. डी का पत्थर सं.—42/23 मुरब्बा नं.—40 का किला नं.—16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20/1, 21/1, 22, 23, 24, 25/1, 25/2 की कुल 2.430 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। प्रार्थी के पिता वेदप्रकाश के देहान्त उंपरात प्रार्थी के पिता वेदप्रकाश के नाम की 2.430 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि प्रार्थी, अप्रार्थी सं.—2 व 4 को विरास्तन इन्तकाल के तहत प्रत्येक को 1/4 हिस्सा के रूप में प्राप्त होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी। कृषि भूमि वाके चक 12 एन. डी का पत्थर सं.—42/23 मुरब्बा नं.—40 का किला नं.—16/1,

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

16/2, 17, 18, 19, 20/1, 21/1, 22, 23, 24, 25/1, 25/2 की कुल 2.430 हैक्टर कृषि भूमि संयुक्त खाता की भूमि है। प्रार्थी के पिता के देहान्त के उंपरात उपरोक्त वारिसान में से प्रार्थी की बहन अप्रार्थी सं.–3 बिंदु आचार्य पुत्री वेदप्रकाश ने उपरोक्त कृषि भूमि में से अपने 1/4 हिस्सा का दिनांक 05.02.2024 को हक त्याग करते हुऐ अप्रार्थी सं. –2 के नाम दस्तावेज दस्तबरदारी निष्पादित कर पंजीकृत करवा दी। जबकि बिंदु आचार्य अपना हक छोड़ सकती थी किसी एक के हक में नहीं छोड़ सकती थी इसलिए उपरोक्त दस्तबदारी शुरू से प्रभाव शुन्य व गलत दस्तावेज है। अप्राथी सं.–2 ता 4 द्वारा राजस्व कर्मचारियो से मिलीभक्त करके व तथ्यो को छुपाकर षड्यंत्रीय योजना से उक्त दस्तबरदारी आधार पर उक्त दस्तावेज दस्तबरदारी में वर्णित कृषि भूमि का इन्तकाल तहसीलदार अनूपगढ़ स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं.–3 ने अप्रार्थी सं.–2 के नाम से दस्तबरदारी का इन्तकाल दर्ज करवा दिया तथा अप्रार्थी सं.–3 ने अप्रार्थी सं.–2 के नाम से दर्ज करवाकर प्रार्थी को दस्तबरदारी से प्राप्त हिस्सा से महरूम कर दिया ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं.–3 द्वारा अप्रार्थी सं.–2 के नाम से दर्ज इन्तकाल सं.–431 दिनांक 05.02. 2024 आरम्भ से शुन्य व विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्ती के है। स्व. वेदप्रकाश के देहान्त उंपरात उनके नाम की कृषि भूमि उसके सभी वारिसान यानि प्रार्थी अप्रार्थी सं.–2 ता 4 के प्रत्येक को 1/4 हिस्सा के रूप में विरास्तन में प्राप्त हुई जो संयुक्त परिवार की सम्पति जो सभी को संयुक्त रूप से पैतृक सम्पति के रूप में विरास्तन प्राप्त हुई थी। अप्रार्थी सं'.–1 जो कि अप्रार्थी सं.–2 की पत्नी है अप्रार्थी सं.–2 के द्वारा अपने हिस्सा की 1/2 हिस्सा कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 को दान में दिनांक 24.05.2025 को कर दी ताकि जो अप्रार्थी सं.–3 द्वारा दस्तबरदारी में से प्रार्थी अपना हक ना ले सके। एक हिस्सेदार बिंदु पुत्री वेदप्रकाश द्वारा विवादित कृषि भूमि में से अपने 1/4 हिस्सा की दस्तबरदारी करने के पश्चात कानूनन शेष हिस्सेदार संयुक्त रूप से उक्त हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते है नियमानुसार दस्तबरदारी करने वाला कोई भी पक्षकार दस्तबरदारी विलेख के द्वारा अपना हिस्सा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में नही छोड़ सकता बल्कि दस्तबरदारी करने वाला व्यक्ति केवल मात्र अपना हक छोड़ सकता है एक हिस्सेदार अप्रार्थी सं.–3 बिंदु के द्वारा दस्तबरदारी के द्वारा अपना हक त्याग करने के पश्चात प्रार्थी व अप्रार्थी सं.–2 ता 4 उपरोक्त विवादित भूमि के बहिस्सा बराबर के हिस्सेदार हऐ। ऐसी स्थिति में भी अप्रार्थी सं.–2 ता 4 के नाम से विवादित भूमि का दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 05.02.2024 के आधार पर दर्ज इन्तकाल आरम्भ से शुन्य व विधि विरूद्ध है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे कि अप्रार्थी सं.–1 ता 4 प्रार्थना पत्र में दर्ज विवादित कृषि भूमि वाके चक 12 एन. डी का पत्थर सं.

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

–42/23 मुरब्बा नं.–40 का किला नं.–16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20/1, 21/1, 22, 23, 24, 25/1, 25/2 की कुल 2.430 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में बिना प्रार्थी के अधिकारों की घोषणा करवाये किसी भी तरीके से अन्यत्र हस्तान्तरित, रहन, बैय, दान करने से निषिद्ध रहे तथा प्रार्थी के हिस्सा की भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त में किसी प्रकार की वेजा मदाखलत पैदा करने व करवाने में व्यादेशित रहे तथा मौका एव रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. –1 ता 3 ने प्रकरण में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि के सम्बधं में अप्रार्थी सं.–3 को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत समस्त प्रकार के अधिकार प्राप्त थे इस धारा के अनुसार हिन्दू नारी को अपने कब्जा में की कोई भी सम्पति चाहे वह इस अधिनियम के प्रावधान से पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसिमित स्वामी के तौर पर धारित की जाऐगी। प्रार्थी का अप्रार्थी सं.–3 के हिस्सा की भूमि में कोई हक अधिकार प्रश्नगत भूमि में नहीं बनता है। अप्रार्थी सं.–1 के नाम से खातेदारी दर्ज थी तथा अप्रार्थी सं.–2 को अप्रार्थी सं.–1 के पक्ष में पंजीकृत दान पत्र निष्पादित करवाने के विधिक अधिकार प्राप्त थे इस कारण अप्रार्थी सं.–2 के द्वारा अप्रार्थी सं.–1 के पक्ष में पंजीबद्ध दान पत्र दिनांकित 24.05.2025 कतई शून्य दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है जिसके कारण ऐसे दस्तावेज को प्रभावहीन व प्रभावशून्य घोषित करने का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त ना होकर माननीय सिविल न्यायालय को है ऐसी स्थिति में वादी का वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में नहीं है अतएवं वाद वादी विधि द्वारा वर्जित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थीया सं.–4 ने जबाव पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तो अप्रार्थीया सं.–4 को कोई एंतराज नहीं है।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का सुक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थी के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :–यह कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित किया हैं कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाता की सम्पति है। जिसमे प्रार्थी का हित निहित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता हैं तथा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहता हैं। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो व दस्तावेजों के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रार्थी अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड सह–खातेदार हैं प्रार्थी अप्रार्थीगण के

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

हिस्से पर स्थगन लेना चाहता हैं विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त हैं कि सह–खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता और ना ही सह–खातेदार काश्तकार को उसके हिस्सें की भूमि का बेचान करने से निर्बन्धित किया जा सकता है। सह–खातेदार बिना विभाजन करवाये अपनी सम्पति को विक्रय करने अथवा काश्त, उपयोग, उपभोग करने के हकदार है। प्रार्थी अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने या अप्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि विक्रय/हस्तान्तरित व काश्त करने से निर्बन्धित करवाने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस के तथ्यों से भी उक्त तथ्य व विधिक सिद्धान्तों को बल मिलता है। कि प्रार्थी अनुसार अप्रार्थीगण के नाम से भूमि जरिए पंजीकृत दान पत्र से दर्ज हुई है। कानूनन पंजीकृत दान पत्र को सिविल न्यायालय मे चुनौती दी जा सकती है। राजस्व न्यायालय को पंजीकृत दान पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

सुविधा का संतुलनः—जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नहीं होता हैं ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती हैं तो प्रार्थी के अपेक्षा अप्रार्थीगण को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थीगण अपनी जरूरतो व भूमि उपयोग उपभोग से बाधित व वंचित हो जावेगें एवं अप्रार्थीगण कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगें। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नहीं है।

अपूर्णीय क्षतिः—प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थी अपने पक्ष में दोनो बिन्दू साबित करने में असफल रहे है। अप्रार्थीगण जो कि सह–खातेदार काश्तकार है इस स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगें। जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

—:: आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थी न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 212 राज.काश्त.अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 09/06/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़